R. M. M. Law College, Saharsa.
Amrendra Kumar Trivedi
Part Time Law Teacher.

Hindu Law (Family law)

विवाह विच्छेद (Divorce) 1955 अधिनियम।

Ans:

1955 के पूर्व विवाह विच्छेद का कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि हिन्दु विवाह अधिनियम के विवाह किसी भी परिस्थिति में अविच्छिन्न संस्कार माना जाता है। अविच्छिन्न नहीं सकता था। प्राचीन काल में विवाह विच्छेद नहीं क्योंकि न नैतिक और [illegible] ही जीवन [illegible] करती हैं लेकिन [illegible] [illegible] [illegible] उसके [illegible] आया। और [illegible] अधिकार तक आ सकता है।

(1) पति का पता न चले
(2) पति की मृत्यु हो जाए।
(3) पति संन्यासी हो जाए (4) नपुंसक हो जाए तो)
(5) वह जातिच्युत हो जाए तो

[illegible] कौटिल्य के अनुसार एक [illegible] पति अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ [illegible] हो जाए। तब पति दूसरे को [illegible] सकती है यह कि पति बहुत दिनों तक अनुपस्थित हो गए हैं।

विवाह विधि 1976 के अनुसार पति या पत्नि [illegible] (Sexual Intercourse) विरुद्ध अन्य पुरुषों के साथ [illegible] किया जाना भी विवाह-संस्कार को Divorce की स्थिति में ला सकता है।

विवाह-विच्छेद का आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा ही हो सकता है।

न्यायालय [illegible] के पहले पक्षकारों को [illegible] के लिये समय देता है ताकि वे अपने मतभेद दूर कर सकें।

Scanned with CamScanner

धार्मिक परिवर्तन के आधार पर भी विवाह विच्छेद हो सकता है

~~[illegible]~~ विवाहित स्त्री एवं पुरुष दो व्यक्तिगत
विवादों के चलते भी विवाह बन्धन टूट
सकता है। इन सभी बातों पर व्यापक
और प्रचलन हो सकता है, कोई रोग
भी Divorce का कारण हो सकता है।

एक पति के जीवित रहते हुए और
विवाह करना। ~~[illegible]~~ यह भी विवाह विच्छेद
का कारण है।